

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 08.07.2021

क्रमांक प.1(1)न्याय/2021

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर।

विषय:-नवसृजित 4 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.07.2021 द्वारा सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, कुचामन सिटी एवं लाडनू जिला नागौर, निवाई जिला टोंक एवं बस्ती-जयपुर महानगर प्रथम हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	51550-63070	-	57310	1	4
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-12/4800	44300	1	4
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1	4
4	रीडर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1	4
5	लिपिक ग्रेड-1	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	3	12
6	लिपिक ग्रेड-1A	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	2	8
7	प्रोसेस सर्वर	5200-20200	PB-I/L-4/2000	19200	4	16
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4	16
	कुल				17	68

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये प्रति न्यायालय निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीठासीन अधिकारी के कक्ष हेतु एक ए.सी	0.45
	योग	6.02

उक्त न्यायालयों के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स बजट मद 2014-00-105-(19)-[01] 01 (राज्य निधि) (प्रतिबद्ध) में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा। बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर R.E. 2021-22 में प्रस्ताव प्रस्तुत करावें।

कृपया उक्त नवीन आईटम्स कय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

इन न्यायालयों के भवन निर्माण के लिये केन्द्र सरकार से केन्द्रीय हिस्से की 60% राशि प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता होने पर तखमीने सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर राशि स्वीकृत की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 102102500 दिनांक 23.06.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

8-7-2021

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-5)/ वित्त (बजट) विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)87/2021/570-572 दिनांक : 26/8/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता, टोंक एवं जयपुर महानगर प्रथम।
02. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी एवं लाडनू विजयानगर, विनवांडे जिला टोंक एवं बस्सी जिला जयपुर महानगर प्रथम।
03. Registrar (Classification), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
26/8/21

Computer Cell  
to upload the same  
on website  
26/8/21